I 13585/17

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR P

AV 621411

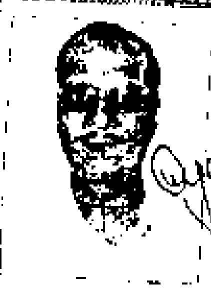

विक्रय-पत्र

पी0कोड स0– 1018, पृष्ठ सं0– 146, क्रमांक सं0–565,

बाजारी कीमत– 1,68,000/–रू0, स्टाम्प– 11,800/– रू0,

उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमवली 1997 के नियम 4 के अंतर्गत 01.08.2014 से विक्रित स्थल पर मूल्यांकन सूची में दी गई दर रू0 30 लाख प्रति हे0 का दो गुना यानी 60 लाख रूपया प्रति हेक्टेयर

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – सदर
3. ग्राम – रसूलपुर जहानगज
4. सम्पत्ति का विवरण – गाटा सं0– 90 ख
5. सड़क की स्थिति – पक्की सड़क से करीब दो किमी0 दूर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.028 हे0
7. विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति का नहीं है।
8. प्रतिफल – 1,68,000/ रूपया

जावेद हुसैन

[illegible] 3328/02 [illegible] 7-10-14

[illegible]

सुभाष चन्द्र शर्मा

[illegible]

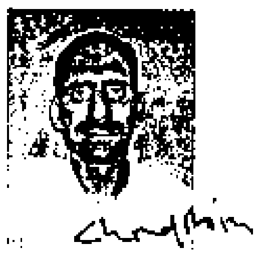

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 622225

(2)

विवरण चौहद्दी :–

पूरब	–	खेत प्रमोद कुमार
पश्चिम	–	खेत बुलाकन
उत्तर	–	खेत मुबीन
दक्षिण	–	खेत शमसाद

नि. जमशेद हुसैन

8373/01 4/1014

स्टाम्प क्रमांक ... विक्रय दिनांक ...

स्टाम्प का मूल्य 5000

नाम क्रेता ... सन डेवलपर्स ...

निवास स्थान / पता ...

दस्तावेज की प्रकृति ...

सुभाष चन्द्र वर्मा

स्टाम्प विक्रेता, ... शाहजहाँपुर

विक्रय पत्र

168,000.00 /	168,000.00	1,680.00	20	1,700.00	700
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री जाविद हुसैन

पुत्र श्री नूर हसन

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी बिजलीपुरा शाहजहाँपुर

अस्थायी पता उक्त

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/10/2014 समय 11:42AM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामआसार
उपनिबंधक सदर
शाहजहाँपुर
10/10/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री जाविद हुसैन
पुत्र श्री नूर हसन
पेशा अन्य
निवासी बिजलीपुरा शाहजहाँपुर

क्रेता

सन डेवलपर्स द्वारा पार्टनर किशन कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री शान्ती प्रसाद अग्रवाल
पेशा अन्य
निवासी अजीजगंज शाहजहाँपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री कमल कुमार

पुत्र श्री गुरुबीर सिंह

पेशा अन्य

निवासी खिरनीबाग शाहजहाँपुर

व श्री चाद मियाँ

पुत्र श्री जावेद हुसैन

पेशा अन्य

निवासी बिजलीपुरा शाहजहाँपुर

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामआसार
उपनिबंधक सदर
शाहजहाँपुर
10/10/2014

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AG 490207

हम कि जाविद हुसैन पुत्र नूर हसन, निवासी मो0 बिजलीपुरा, शहर व जिला शाहजहाँपुर।

..........प्रथम पक्ष

एवं

फर्म डवलगर्स लोधीपुर जिला शाहजहापुर द्वारा पार्टनर, किशन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 शान्ती प्रसाद अग्रवाल, नि0मो0 अजीजगंज, शाहजहाँपुर।

.........द्वितीय पक्ष

जो कि आराजी काश्त संक्रमणीय भूमिधरी स्थित ग्राम रसूलपुर जहानगंज, परगना व तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर खाता स0--47 (सैतालिस) गाटा

नि० जाविद हुसैन

सुभाष चन्द्र वर्मा

विक्रेता

Registration No.: 13585 Year : 2,014 Book No. : 1

0101 जाविद हुसैन

नूर हसन

बिजलीपुरा शाहजहांपुर

अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH U 961271

(4)

सं0–90 ख (नब्बे ख) रकबा 0.028 हे0 (शून्य दशमलव शून्य दो आठ हे0) लागान खातानुसार हम प्रथम पक्ष की है, जो राजस्व अभिलेखो में कृषि दर्ज है और वर्तमान में कृषि हो रही है। उक्त आराजी काश्त हम प्रथम पक्ष की है, जिसके वावत् हम प्रथम पक्ष को पूर्ण हक मालिकाना हस्तान्तरण आदि के हासिल है। आराजी काश्त आज तक के हर प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी भार व वाद आदि से पाक व साफ है, कोई किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। अतः हम प्रथम पक्ष ने खूब सोच समझकर बिना किसी जवर व दबाव के खुशी खुद बदले मु0 1,68,000/– रूपया (एक लाख अड़सठ हजार रूपया) कि जिसके आधे मु0 84,000/– रूपया (चौरासी हजार रूपया) होते हैं, मैं बदस्त द्वितीय पक्ष के हाथ बेच दी तथा कुल कीमत द्वितीय पक्ष से नगद प्राप्त कर विक्रय कर दी तथा द्वितीय पक्ष को अपने समान

क्र० सं० 2373/02 विक्रय दिनांक 8-1-014
स्टाम्प का मूल्य 500/-
नाम क्रेता [illegible]
निवास स्थान / पता [illegible]
दस्तावेज की प्रकृति [illegible]

सुभाष चन्द्र वर्मा
स्टाम्प विक्रेता, [illegible] शाहजहाँपुर
[illegible]

क्रेता

Registration No.: 15585 Year: 2,014 Book No.: 1

0201 सन डवलपर्स द्वारा पार्टनर किशन कुमार अग्रवाल

शान्ती प्रसाद अग्रवाल

[illegible] शाहजहांपुर

अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 556067

(5)

समस्त अधिकारों सहित मालिक काबिज व दखील बना दिया। कब्जा व दखल वाकई दे दिया अब नहीं रहा कोई हक हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे का विक्रित काश्त के बावत् यदि कोई हम प्रथम पक्ष का सहीम सरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा बातिल व नाजायज होवे निकल जावे जुज या कुल भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे से तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे जात व जायदाद से हर प्रकार से वसूल कर लेवे हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे को कोई उज्र या इंकार न होगा।

अतः यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 556066

(6)

नोट :– विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का नहीं है, काश्त सीलिंग व पट्टे की नहीं है, काश्त मे पेड़, बोरिंग व कुआं नहीं है। काश्त पक्की सड़क व आबादी से करीब दो कि0मी0 दूर स्थित है और बरसात मे जल भराव की समस्या बनी रहती है। ऐसी भूमि के सम्बंध मे जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमवली 1997 के नियम 4 के अंतर्गत अलग से कीमत नहीं दी गई है। उक्त स्थल पर वार्षिक मूल्यांकन सूची में कृषि भूमि का मूल्याकन 30 लाख रूपया प्रति हे0 दिया गया है, परन्तु उक्त भूमि संस्था द्वारा क्रय की जा रही है जिस कारण निर्धारित दर के दो गुना यानी 60 लाख रूपया के हिसाब से विक्रीत कृषि भूमि की

नजरी नक्शा आराजी काश्त संक्रमणीय भूमिधरी

स्थित ग्राम रसूलपुर जहानाबाद परगना सदर
तहसील सदर जनपद—शाहजहांपुर

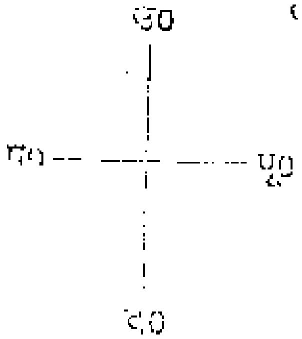

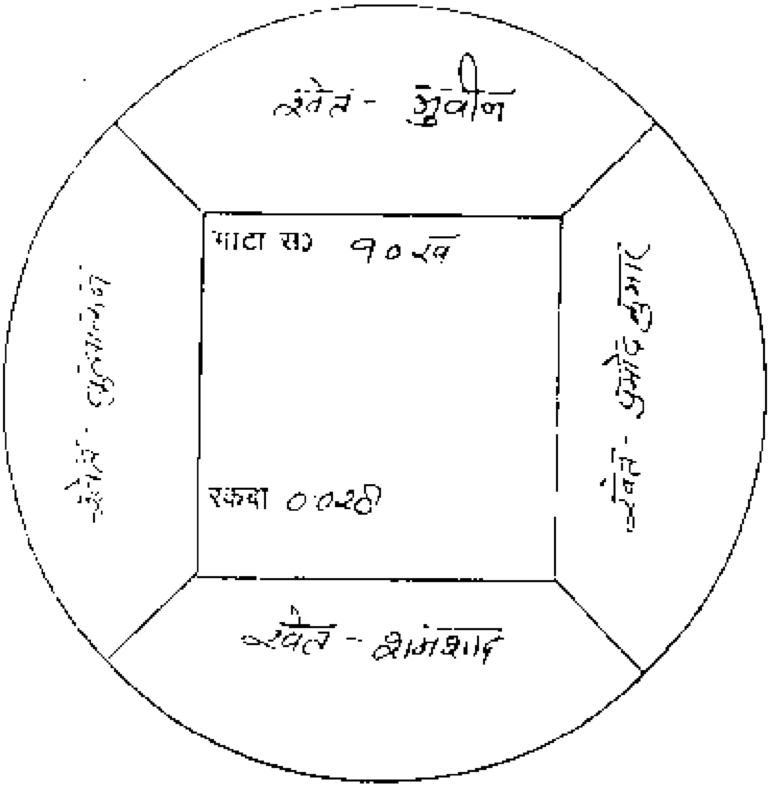

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 556065

(7)

अधिकतम बाजारी कीमत मु0 1,68,000/– रुपया होती है, स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा किया गया।

गवाह :- कमल कुमार पुत्र स्व0 सुखवीर सिंह, निवासी मो0 खिरनीबाग, शहर व जिला शाहजहाँपुर।

गवाह:– चाँद मियाँ पुत्र जावेद हुसैन, निवासी मो0 बिजलीपुरा, शहर व जिला शाहजहाँपुर।

मसविदा – उमेश कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

दिनांक – 10.10.2014 ई0

टाइपकर्ता – सूरज सक्सेना

[illegible] 2320/05 [illegible] दिनांक 21.9.14

[illegible]

सुभाष चन्द्र वर्मा

[illegible]

आज दिनांक **10/10/2014** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **9085**

पृष्ठ सं. **245** से **262** पर क्रमांक **13585**

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामऔतार

उपनिबंधक सदर

शाहजहांपुर

10/10/2014